कृषि आय बढ़ाने के लिए बाजार तक पहुँच आवश्यक

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

4 जुलाई, 2019

"कृषि को राज्य से समवर्ती सूची में ले जाने से जीएसटी के समान लाभ मिल सकता है।"

किसी भी व्यवसाय में, चाहे वो स्टार्ट-अप हो या मल्टीबिलियन डॉलर बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, अगर सबसे पहले कोई मुद्दा आता है तो वो 'बाजार' का होता है लेकिन कहीं न कहीं इस संदर्भ में किसानों को, जो एक व्यवसायी भी है, भुला दिया गया है। उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रण में रखने के हमारे जुनून ने कृषि उत्पादों के विपणन की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है।

एक अपवाद शायद तब था जब वर्गीज कुरियन ने अमूल की शुरुआत की थी, जिसमें पहले बाजार को ठीक किया गया और फिर दूध की आपूर्ति की गयी। हरित क्रांति के दौरान भी, सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में गेहूँ और चावल के लिए एक सुनिश्चित मूल्य पर खरीद कार्यक्रम चलाया। बाकी सब चीजों के लिए, किसानों को मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, उनकी व्यावसायिक गतिविधि की व्यवहार्यता, जो मौसम में अनिश्चितताओं और वैश्विक कमोडिटी चक्र से जुड़े सभी जोखिमों का वहन करती है, काफी नुकसान प्रदान करता है।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय किसानों को कभी अभावग्रस्त महसूस नहीं करना पड़ता है, जब खपत पैटर्न प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों (डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन) या फलों और सब्जियों के पक्ष में स्थानांतरित किये जाते है। इनकी तरफ से आपूर्ति प्रतिक्रिया हमेसा प्रभावशाली रही है, लेकिन दूसरी छोड़ से पर्याप्त रिटर्न की संभवना कम ही रहती है।

इसके लिए कई कारक जिम्मेदार है जैसे मार्केटिंग या विपणन श्रृंखला की अनुपलब्धता या वापसी खरीद की गारंटी वाली व्यवस्था, अपर्याप्त भंडारण की सुविधा (विशेष रूप से खराब होने वाली उपज के लिए), उच्च परिवहन लागत, व्यापारियों द्वारा कार्टिलेजेशन (उत्पादों और सेवाओं के मूल्य निर्धारण को ठीक करने के लिए उद्योग के प्रतिभागियों का एक समूह), तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिक्री की व्यवस्था।

यह अब तभी संभव है, जब तक 'किसानों की आय' पर केंद्रीय रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, जिसमें 'बाजार' पर ध्यान क्रेन्द्रित करना सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हांलाकि, पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने बाजार तक बेहतर पहुँच स्थापित करने और किसानों के जोखिम को कम करने के लिए नए-नए प्रयास किये हैं। जिनमें से जो महत्त्वपूर्ण हैं उसके बारे में इस आलेख में जानकारी दी जा रही है:-

eNAM: सरकार ने अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल के माध्यम से सभी विनियमित थोक उत्पादन बाजारों को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) बनाया है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता इन मंडियों के व्यापारियों की भागीदारी पर निर्भर है, जो स्पष्ट रूप से किसी भी पहल का विरोध करेंगे क्योंकि यह उनकी मूल्य-निर्धारण शक्ति को कम करता है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): एफपीओ का निर्माण किसानों को अपनी उपज के एकत्रीकरण और मानकीकरण के माध्यम से बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करता है, जिससे बेहतर प्राप्ति होती है, लेकिन एफपीओ अब तक मिश्रित साबित हुआ है, क्योंकि उनमें अक्सर प्रबंधन की कमी होती है।

जोखिम प्रबंधन: फसल बीमा योजना किसानों को मौसम के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही, प्रधानमंत्री बीमा योजना में प्रीमियम सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वहन किया जाता है। हालांकि अभी भी एक कार्य प्रगति पर है, यह पहले से मौजूद किसी भी अन्य योजना की तुलना में अधिक व्यापक और किसान-हितैषी योजना है।

'बाजार' की चुनौतियों को संबोधित करना जटिल है, फिर भी इस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस संदर्भ में कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:-

बाजारों की संख्या बढ़ाना: दलवई समिति के अनुसार भारत को कम से कम 30,000 कृषि उपज बाजारों की जरूरत है, जो वर्तामन में लगभग 6,500 है। हमें इस व्यापक अंतर को पाटने के लिए एक 'मिनी-मार्केट' अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है। ये डेयरी या चीनी उद्योगों में संग्रह बिंदुओं के समान हो सकते हैं, जिन्हें डिजिटल रूप से मुख्य मंडियों से जोड़ा जा सकता है। सर्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक संचार और विश्वसनीय ग्रामीण सड़कों के साथ, वे आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन के लिए व्यवहार्य हब बन सकते हैं।

मांग बनाम आपूर्ति: मूल्य अस्थिरता का मूल कारण अधिकता और कमी का अनियंत्रित चक्र है। किसी विशेष कमोडिटी में मूल्य अनुमान अक्सर पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर बनाए जाते हैं, जो अधिक या कम रोपण के लिए सही नहीं हो सकते हैं। सरकार को एक ऐसे तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, जो किसानों को उनकी फसलों की पसंद और प्रबंधन पर वास्तविक समय में मार्गदर्शन प्रदान करे। यह सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित हो सकता है, इसके बाद रोपण से पहले और बाद में उपयुक्त सलाह दी जाएगी। इस जॉब के लिए एगटेक स्टार्टअप शुरू किए जाने चाहिए, शुरुआत में पायलट स्तर पर और फिर इसे आगे बढ़ाना चाहिए।

वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण: इस तंत्र को मंडियों के साथ एकीकरण की आवश्यकता है, ताकि कम उत्पादन का सामना करने वाले किसान अपनी फसल को इन मान्यता प्राप्त गोदामों में स्टोर कर सकें और धन जुटाने के लिए वे कीमतों के बढ़ने का इंतजार करे। इस तरह की सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। वर्तमान में, अपर्याप्त रसीद और प्रस्ताव पर योजनाओं की जटिलता के कारण गोदाम रसीद वित्तपोषण का उपयोग सीमित है।

निर्माता समेकन: अधिक व्यवहार्य होल्डिंग्स में छोटे और खंडित खेतों के समेकन से बेहतर मूल्य वसूली को सक्षम करने के अलावा, वित्त और गुणवत्ता इनपुट तक उत्पादकों की पहुँच में सुधार होगा। ऐसा करने का एक तरीका दीर्घकालिक भूमि पट्टे या समेकन को प्रोत्साहित करना है, जबकि एक ही समय में भूमि मालिकों को उपयुक्त कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। यह भूमि विकास / सुधार और कृषि मशीनीकरण में बहुत आवश्यक निवेशों को प्रोत्साहित करेगा।

कृषि करने में आसानी: 'व्यवसाय करने में आसानी या इज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर' की बात अन्य व्यवसायों की तरह कृषि के लिए भी आवश्यक है। उत्पादन, स्टॉकहोल्डिंग, मूल्य निर्धारण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर प्रतिबंधों को हटाना ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करना चाहिए क्योंकि यह कमी के युग के दौरान कल्पना की गई एक कानून थी। आज, विशाल बफर स्टॉक और आयात विकल्पों के साथ, इस कानून की प्रासंगिकता खत्म हो गयी है।
किसी भी सार्थक प्रभाव के लिए, उपरोक्त प्रस्तावित उपायों को क्रमिक रूप से समानांतर रूप से लिया जाना चाहिए। साथ ही, इस सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों की अवधि के अंदर ही इस पर कार्य करना बेहतर साबित होगा।

अंत में, कृषि के आसपास केंद्रित लगभग सभी चर्चाएँ एक टिप्पणी से संबंधित हैं कि 'कृषि' संविधान के अनुच्छेद-246 की सातवीं अनुसूची में सूची II के तहत एक राज्य का विषय है, लेकिन 1976 में 42 वें संशोधन से पहले 'शिक्षा' और 'वन' भी इसी तरह थे, जब उन्हें संविधान की सूची III में स्थानांतरित किया गया था। हाल के दिनों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए संविधान संशोधन के रूप में राज्य से समवर्ती सूची में उस बदलाव का अनुभव सकारात्मक रहा है। कृषि को समवर्ती सूची में पुनर्वर्गीकृत करने की आवश्यकता अनिवार्य है।

केंद्र में वर्तमान जनादेश को देखते हुए सरकार को आवश्यक विधायी बदलाव लाने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। पिछली सरकार के दौरान, संविधान में संशोधन किया गया था और केंद्र और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक GST परिषद भी बनाया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली इस तंत्र के माध्यम से एक जटिल विषय को कुशलता से नेविगेट करने में सक्षम थे। देश की लगभग आधी आबादी की आजीविका को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक समान रूपरेखा क्यों नहीं बनाई जा सकती है, इसका कोई कारण नहीं है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए समिति का गठन

क्या है?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के इरादे से मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति का सोमवार को गठन किया।
- यह समिति कृषि क्षेत्र में सुधारों को अमल में लाने के उपाय और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देगी। समिति के संयोजक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे।
- एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के उपायों पर चर्चा करेगी। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

समिति के सदस्य

- उच्च अधिकार प्राप्त समिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सदस्य होंगे।
- नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं।

इन क्षेत्रों में समिति सुझाव देगी

- समिति के सुझाव वाले क्षेत्र में कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सहायता) कानून, 2017 (एपीएलएम कानून), कृषि उपज और पशुधन ठेका खेती और सेवाएं (संवर्द्धन एवं सहायता) कानून, 2018 शामिल हैं।
- इसके अलावा, समिति आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के विभिन्न प्रावधानों की भी समीक्षा करेगी और कृषि विपणन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिये ईसीए में बदलाव के सुझाव देगी।
- साथ ही समिति कृषि निर्यात को बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि को गति देने, आधुनिक बाजार ढांचागत सुविधा, मूल्य श्रृंखला और लाजिस्टिक में निवेश आकर्षित करने के बारे में भी सुझाव देगी।
- विज्ञप्ति के अनुसार समिति ई-एनएएम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) तथा अन्य प्रासंगिक प्रायोजित योजनाओं के साथ बाजार सुधारों को जोड़ने को लेकर उपाय भी सुझाएगी।
- इसके अलावा समिति कृषि प्रौद्योगिकी को बेहतर करने और किसानों के लिये बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, कृषि उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी सुझाव देगी।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **ई-नाम** (e-NAM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ किसान देश के किसी भी कोने से अपने उत्पादों के लिए खरीददारों से संबंध स्थापित कर सकते हैं।
   2. इस पहल से किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण होगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding e-NAM-**

   1. It is an online portal where farmers can contact the buyers of its product from any corner of the country.
   2. This initiative will protect the interests of buyers also along with farmers.

   Which of the above statement is /are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः कृषि उत्पादों को बाजार उन्मुख बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Discuss the main steps taken by the government to make the agriculture products market ready.

(250 Words)

नोट : 3 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Committed